



## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.07.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 03, थाना मनकापुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० जहलू सोनकर उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम खटिकन पुरवा मौजा सीहांगाव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-168/22, धारा 60, 60(2) आबकारी अधि० 02. जयमंगल पुत्र जुमुल दत्त नि०ग्राम केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/22, 03. लवकुश वर्मा पुत्र अशरफी निवासी बलुहा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-170/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सुरेमन पत्नी हीरा लाल नि० ग्राम भुलभुलिया हाता थाना को० देहात गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-302/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

#### 03. थाना को० कर्नैलंगज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामदत्त पुत्र चिनगू निवासी ग्राम खाले कोचा थाना कोत० कर्नैलंगज, जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-334/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.07.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त हासिम अली उर्फ ननके पुत्र हामिद अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. हासिम अली उर्फ ननके पुत्र हामिद अली महापारा थाना कौडिया जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-167/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 मानेन्द्र सिंह मय टीमा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.07.2022**

**चोरी के माल के साथ चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-185/22, धारा 457,380,411 भादवि से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी रामसूरत चौहान के कपड़े के दुकान से मोबाइल फोन, कपड़े तथा काउन्टर में रखे नगदी चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. अजय कुमार जगन्नाथ निवासी ग्राम गुरगांव पोस्ट मझौवा बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-185/22, धारा 457,380,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 3 अदद मोबाइल सेट

02. 2 अदद साड़ी

**गिरफ्तार कर्ता टीम:-**

उ0नि0 अश्वनी कुमार राय मय टीम।

सराहनीय कार्य  
प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 30.07.2022

**रोडवेड चालक के साथ मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्त  
गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0-303/22, धारा- 323, 332, 427, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तो 01. राहुल सोनकर 02. राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने दिनांक 30.07.2022 को रोडवेज चालक के साथ मारपीट करते हुए लोकसेवक के काम में बाधा उत्पन्न की थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. राहुल सोनकर पुत्र रामकिशुन निवासी पड़ित मोफिया थाना धानेपुर जिला गोण्डा
02. राजू पुत्र रामकिशुन निवासी निवासी पड़ित मोफिया थाना धानेपुर जिला गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-303/22, धारा- 323,332,427,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

- उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

## **पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देश नें AHTU, SJPU व चाइल्ड लाइन की सयुक्त टीम ने बालश्रम कराने वाले 03 प्रतिष्ठानो के नियोजको के विरूद्ध की कार्यवाही-**

आज दिनांक 30-07-2022 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर के निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा थाना कटरा बाजार व थाना करनैलगंज क्षेत्र में बालश्रम उन्मूलन अभियान का संचालन किया गया। जिसमें तीन प्रतिष्ठानों के नियोजको को बाल श्रम कराते हुए पाए जाने पर नोटिस देकर संबंधित प्रतिष्ठानों के नियोजको के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है अभियान का संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के प्रभारी निरीक्षक श्री अरविंद कुमार, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन श्री चंद्रेश यादव व चाइल्ड लाइन प्रभारी श्री आशीष मिश्रा तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई से कांस्टेबल अरविंद कुमार, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट से कांस्टेबल रामजीत एवं महिला आरक्षी सरिता के साथ किया गया उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराना व लोगों को जागरूक करना है।